निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या 21/2024 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये श्री कल्याण सहाय करोल, प्रवर्तन अधिकारी, आमेर।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स हाईवे फूड रेस्टोरेन्ट चंदवाजी, निम्स के सामने आमेर जरिये निराला कुमार पुत्र श्री आर.बी. सिंह।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 02 बीपीसीएल घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 11.7 किलोग्राम को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री जयप्रकाश बडासरा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से है।

निर्णय दिनांक 03.12.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि घरेलू गैस के अवैध भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रूबरू मौकाविरान के दिनांक 07.06.2024 को मैसर्स हाईवे फूड रेस्टोरेन्ट चंदवाजी निम्स के सामने आमेर पर श्री निराला कुमार पुत्र श्री श्री आर. बी. सिंह की उपस्थिति में जांच की गई। मौके पर कुल 02 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.200 कि.ग्रा. के पाये गये। जिनमें से एक सिलेण्डर भट्टी/बर्नर से गैस पाईप लाईन से जुडा पाया गया। मौके पर मैसर्स श्रीबालाजी भारत गैस ग्रामीण वितरक के प्रतिनिधि श्री कानाराम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरों में कुल 11.7 किलो ग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी निराला कुमार के द्वारा इस बाबत न तो कोई वैध दस्तावेज पेश किया गया और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 11.7 किलो ग्राम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 08.08.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जयप्रकाश बडसरा ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मैसर्स हाईवे फूड रेस्टोरेन्ट चंदवाजी निम्स के सामने आमेर पर कुल 02 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.200 कि.ग्रा. के पाये गये। जिनमें से एक सिलेण्डर भट्टी/बर्नर से गैस पाईप लाईन से जुडा पाया गया। मौके पर मैसर्स श्रीबालाजी भारत गैस ग्रामीण वितरक के प्रतिनिधि श्री कानाराम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरों में कुल 11.7 किलो ग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी श्री निराला कुमार के द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही गैससिलेण्डर भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति एवं बदनीयति बखूबी सिद्व होती है। अतः उक्त जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी के स्वयं के है। सिलेण्डर कनेक्शन शुदा है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 07.06.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी ने जब्त किये गये सिलेण्डर्स कि मल्कियत के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। दौराने जांच मौके पर कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.7 किलोग्राम एल.पी.जी. के मिले है। मौके पर एक घरेलू सिलेण्डरों भट्टी/बर्नर से जुडा पाया गया। जिससे घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जें से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.7 किलो ग्राम एलपीजी को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति हस्व कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)